ग्राम पंचायत धरोट, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2013 से 03/2016

भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम–1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप–सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या–PCH.HC-(5)-C(15) LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत धरोट, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के अवधि अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत धरोट में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती सुनिता शर्मा	01.04.2013 से 22.1.2015
2	श्री रणवीर सिंह	23.1.2015 से 31.3.2016 (लगातार)

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री हेमेन्द्र शर्मा	01.04.2013 से 31.03.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत धरोट, जिला सोलन के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के दिनांक 31.3.2016 के अन्तशेष में भारी अन्तर	3.54
2	6	वित्तीय नियमों की अवहेलना	–

3	6.3	खाता "ख" के ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना	0.23
4	10	अनुदान राशि का अवरोधन	14.89
5	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	3.06

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत धरोट, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 20.02.2017 से 09.03.2017 तक ग्राम पंचायत धरोट के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः 03/2014, 03/2015, 06/2015 और 03/2014, 09/2014, 04/2015 का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत धरोट, विकास खण्ड सोलन, जिला सोलन के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय (निधि) लेखा–परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 36 दिनांक 8.3.2017 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत धरोट से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत धरोट द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।

4.1 स्वः स्त्रोतः–

ग्राम पंचायत धरोट के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक स्वः स्त्रोतों (खाता "क") की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	306294	38784	345078	36504	308574
2014–15	308574	107652	416226	24973	391253
2015–16	391253	126158	517411	101710	415701

4.2 अनुदानः–

ग्राम पंचायत धरोट के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति (खाता–"ख") का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **"परिशिष्ट–1 व 2"** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	654508.95	1299565	1954073.95	943046	1011027.95
2014–15	1011027.95	1417229	2428256.95	1205685	1222571.95
2015–16	1222571.95	1451508	2674079.95	1185273	1488806.95

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹3.54 लाख का भारी अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत धरोट द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2016 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेषों में ₹354358 का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में है।

क्रम संख्या	खाता	अन्तशेष
	रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति के अनुसार 31.3.2016 को अन्तिम शेष	
1	रोकड़ बही के अनुसार खाता "क"–पैरा	415701.00

2	रोकड़ बही के अनुसार खाता "ख"–पैरा	1488806.95
	योग (क)	**1904507.95**

बैंक खातों में उपलब्ध अन्तशेषः–

क्र0सं0	खातों का विवरण	बैंक	अन्तशेष
1	सामान्य निधि (65195754053)	स्टेट बैंक पटियाला धरोट	671633
2	अनुदान 101834022000004	जे0सी0सी0 सोलन	669130.70
3	इन्दिरा आवास योजना 55078263586	स्टेट बैंक पटियाला धरोट	188755.25
4	तेरहवाँ वित्त आयोग 65195755455	स्टेट बैंक पटियाला (धरोट)	19982.00
5	मनरेगा 10183400100576	जे0सी0सी0 सोंलन	शून्य
6	हस्तगत राशि (दिनांक 31.3.2016)	–	649.00
		योग (ख)	1550149.95
	रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर (क–ख)		354358.00

अतः इस अनियमितता बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः–

6.1 रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत धरोट की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) की रोकड़ बही के लेखांकन मे ंपूर्ण अवहेलना की जा रही है। ग्राम पंचायत धरोट के लेखों की जाँच में रोकड़ बही के सन्दर्भ में नियम विरूद्ध की जा रही निम्न विसंगतियाँ पाई गई हैः–

(क) पंचायत द्वारा पंचायत निधि एवं अनुदान इन्दिरा आवास योजना, मनरेगा व 13वें वित्त आयोग के लिए तीन अलग–अलग रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है। अतः नियमों के विरूद्ध एक के स्थान पर तीन रोकड़ बहियों को निर्मित करने बारे नियमानुसार उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इन अतिरिक्त रोकड़ बहियों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही प्रतिदिन हुए लेन–देन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं

वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम–2002 के नियम 7 (2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत धरोट में रोकड़ बहियों के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 नियमों के विरूद्ध पाँच बैंक खातों का खोला जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार पंचायत में केवल दो बैंक बचत खाते खोले जाने का प्रावधान है जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत धरोट में दो के स्थान पर पाँच बैंक बचत खाते खोले गए है। अतः नियमों के विरूद्ध खोले गए इन बैंक खातों बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन पाँच अतिरिक्त खातों को बन्द करते हुए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

6.3 खाता "ख" के ₹0.23 लाख के ब्याज को खाता "क" में अन्तरित न किया जानाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व श्त्ते) नियम, 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता "ख" में अर्जित ब्याज को पंचायत निधि के स्वयं संसाधनों के खाता "क" में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत धरोट के चैक खातों की जाँच उपरान्त पाया गया कि इस नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है। निम्न तालिका के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹22913 खाता "ख" से सम्बन्धित बचत खातों में ब्याज के रूप में अर्जित किए गए थे जिन्हें उपरोक्त नियम की अनुपालना में खाता "क" में अन्तरित किया जाना था। परन्तु नहीं किया गया है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अब तक खाता "ख" के समस्त बैंक खातों में अर्जित ब्याज को तुरन्त खाता "क" में अन्तरित करते हुए भविष्य में नियमानुसार समय पर कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

खाता संख्या	माह/वर्ष						कुल ब्याज
	6/13	**31.12.13**	**6/14**	**12/14**	**6/15**	**12/15**	
55078263586	2600	3130	2745	3088	2302	2367	16232
101834001005716	1686	934	624	96	51	—	3391
65195755455	—	—	03	10	640	395	1048
101834022	953	983	—	—	306	—	2242
कुल योग	**5239**	**5047**	**3372**	**3194**	**3299**	**2762**	**22913**

6.4 रोकड़ बही में ₹60 कम दर्शाने बारेः—

ग्राम पंचायत धरोट की अंकेक्षण अवधि 04/2013 से 03/2016 तक की रसीद बुकों की जाँच करने पर पाया गया कि रसीद संख्या 220003 से 220059 के अनुसार गृह कर व राशन कार्ड नवीकरण फीस के रूप में ₹1100 वसूल की गई थी जबकि रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 131 दिनांक 12.1.2014 को ₹1040 ही दर्शाई गई थी। अतः (1100—1040)—₹60 राशि कम दर्शाई गई थी। इस प्रकार पंचायत के स्वयं स्त्रोतों के खाते में भी कम राशि जमा करवाई गई है। अतः पंचायत नियन्त्रक अधिकारी शीघ्र अति शीघ्र इस प्रकरण में कार्यवाही करते हुए इस कम दर्शाई गई राशि को जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही की अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जना सुनिश्चित किया जाए।

6.5 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप—8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय व एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय व व्यय के लेन—देनों के लिए अलग—अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येंक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार के बनाये जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट क अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। अतः वर्गीकृत सार को न बनाए जाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे भविष्य के लिए नियमानुसार बनाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

G.P. Dharot

7 निवेशः–

ग्राम पंचायत धरोट द्वारा अंकेक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया गया था।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार नहीं किया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार न तैयार करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व ₹0.06 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत सचिव ग्राम पंचायत धरोट द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹5953 की वसूली शेष थी।

(क) गृहकरः– पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या क्रमशः 324 व 330 के लिए ₹20 प्रति परिवार की दर से वसूली योग्य राशि का विवरण निम्न है।

वर्ष	अथशेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली योग्य शेष राशि
2013–14	0	6480	6480	180	6300
2014–15	6300	6600	12900	5820	7080
2015–16	7080	6600	13680	10900	2780

(ख) भू–राजस्वः– ग्राम पंचायत धरोट के भू–राजस्व की बकाया राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	अथशेष	माँग	योग	प्राप्ति	वसूली योग्य शेष राशि
2013–14	1012	1012	2024	350	1674
2014–15	1674	1012	2686	350	2336
2015–16	2336	1012	3348	175	3173

अतः उपरोक्त वर्णित राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 अनुदान के ₹14.89 लाख (लगभग) का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2016 तक अनुदान से प्राप्त राशियों में से ₹1488806 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। यदि इन्ही परिशिष्टों में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि अवरोधित अनुदान राशियों की मात्रा प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। जहाँ 31.03.2014 को यह ₹1011027 थी वहीं 31.3.2016 तक यह बढ़ कर ₹1488806 हो गई है। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि में व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.06 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 67 (4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताऐं प्रावधित है। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट 03** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹305822 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया है जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा

स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके।

12 डाक व्यय का लेखांकन न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 8 (डी) में पंचायत का डाक व्यय को पंचायत निधि के खाता "क" में से किये जाने का प्रावधान है। परन्तु ग्राम पंचायत धरोट के डाक प्रेषण की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा डाक व्यय तो किया जाता है परन्तु व्यय सम्बन्धी प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में नहीं की गई है। अतः इस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

13 एक समय में एक से अधिक रसीद बुकों का अनुचित प्रयोगः–

लेखांकन के सामान्य नियमों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक पंचायत में एक ही रसीद बुक को प्रयोग में लाया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत धरोट के लेखाओं की नमूना जाँच में पाया गया कि यहाँ पर निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान एक समय में एक से अधिक रसीद बुकों का प्रयोग किया गया है जिनमें अंकेक्षण के दौरान बहुत सी रसीदें खाली पड़ी थी।

क्र0सं0	रसीद बुक	खाली रसीदें	खाली रसीदों की संख्या
1	60301–60400	60330–60400	71
2	220101–220200	220169	01

अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए प्रथमतयः इन खाली रसीदों का प्रयोग किया जाए तथा तदोपरान्त इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

14 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रजिस्टरों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1) स्टॉक रजिस्टर

2) चल व अचल सम्पति रजिस्टर

3) जल प्रभार रजिस्टर

4) भवनों व दुकानों के किराये से सम्बन्धित रजिस्टर

5) अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर

6) अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर

7) आय रसीदों का स्टॉक रजिस्टर

8) गृह कर वसूली रजिस्टर

9) डाक–टिकट रजिस्टर

10) निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि

अतः भविष्य में उपरोक्त रजिस्टरों को निर्मित करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई व अस्थाई भण्डार का पुस्तकों में इन्द्राज किया गया है और न ही सत्यापन किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 विविध अनियमितताऐंः–

16.1 ग्राम पंचायत धरोट द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।

16.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर सेवाकर, लेबर सैस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

16.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को भुगतान प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62 (1) के अन्तर्गत सीटिंग फीस मिलती है। ग्राम पंचायत धरोट के इस फीस बिलों की जाँच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजरी

G.P. Dharot

रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया है। अतः इस नियम के विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

17 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

18 **निष्कर्षः–** लेखों के रख रखाव में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अतः इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं के रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता/–

(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(iv) 13/2017–खण्ड–1–5357–5360 दिनाँक,1.09.17
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत धरोट, विकास खण्ड सोलन, तहसील सोलन जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सोलन, तहसील सोलन जिला सोलन, हि0प्र0

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881